नंबर व अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ।
10.12.19	वकुलाय उपस्थित। आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यो में व्यस्त/भ्रमण/ अवकाश पर है। अतः पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 20.1.20 को पेश हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत	
20/1/20	वकुलाय उपस्थित। आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यो में व्यस्त/भ्रमण/ अवकाश पर है। अतः पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 5/3/20 को पेश हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत	
5.3.20	अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उप.। अधिवक्ता प्रार्थी अन्य दस्तावेज व साक्ष्य पेश करने का समय चाहते हैं। समय दिया जाता है। पत्रावली वास्ते दस्तावेज एवं शेष कार्यवाही दिनांक 5/3/20 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी सोजत	
05.03.2020	अधिवक्ता प्रार्थी व तहसीलदार सोजत उपस्थित। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने आज जबाब पेश किया की प्रति अधिवक्ता प्रार्थी को दिलाई गई। सा0मि0 हो। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप शपथ – पत्र प्रस्तुत किये। सा0मि0 हो। अधिवक्ता प्रार्थी ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956 के तहत इस आश्य का पेश किया कि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय में प्रार्थी एवं अन्य सह खातेदारान की संयुक्त कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 911, 912, 935 से 937, 942 से 948, 952 से 956 कुल किता 17 कुल रकबा 14.8800 हैक्टर किस्म मेहन्दी, वंजड, जाव सोयम, आई हुई स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम सोनाराम पुत्र रामाराम दर्ज सुदा है, जबकी प्रार्थी के पिता का सही नाम सेसाराम पुत्र रामाराम था। उक्त भूमि की लगान रसीदे भी सेरिया पुत्र रामाराम के नाम से जारी है। सेटलमेन्ट के दौरान प्रार्थी के पिता का नाम सेरिया के स्थान पर सोनीया सहवन से दर्ज हो गया तथा उसके बाद राजस्व रेकॉर्ड में सोनाराम कर दिया गया । खसरा गिरदावरी में भी सेरिया	उप खण्ड अधिकारी सोजत

पुत्र रामा के नाम से दर्ज है। उक्त कृषि भूमि के गत खसरा नम्बर 1315/1 है। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास हो गया है तथा मृत्यु प्रमाण पत्र भी सेसाराम के नाम से जारी सुदा है। निर्वाचन नामावली में भी प्रार्थी के पिता का सेसा पुत्र रामा के नाम से दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर मौजा सोजत चक द्वितीय के खसरा नम्बर 911, 912, 935 से 937, 942 से 948, 952 से 956 कुल किता 17 कुल रकबा 14.8800 की भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम सोनाराम पुत्र रामाराम के स्थान पर सेसाराम पुत्र रामाराम के नाम से शुद्धि किया जाकर रेकर्ड दुरूस्ती किये जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी तथा तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड में गलतरूप से दर्ज सोनाराम पुत्र रामाराम को सही रूप से सेसाराम पुत्र रामाराम दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं बहस के दौरान दुरूस्ती किये जाने सहमति / स्वीकारोक्ति व्यक्त की है। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं जबाब अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों, साक्ष्य सबूतों तथा स्वतंत्र गवाह खीवाराम व विवादित भूमि में दर्ज सह खातेदारान बाबुलाल पुत्र दौलाराम के तस्दीक ताईद में शपथ पत्र का भी गहनता से अध्ययन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा फहरिस्त के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात यथा, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2020–20201 खसरा नम्बर 1315/1 में अन्य खातेदारो के साथ प्रार्थी के पिता का नाम सेसीया दर्ज है, जबकि जमाबन्दी सम्वत् 2026–2029 में प्रार्थी के पिता का नाम खसरा नम्बर 1315/1 में सोनीया गलत रूप से दर्ज कर दिया गया। सम्वत् 2029–2030 में भू0प्रबन्ध विभाग खसरा मिलान मे खसरा नम्बर 1315/1 व 1315 के नवीन बने खसरा नम्बर 911, 912, 935 से 937, 942 से 948, 952 से 956 कुल किता 17 कुल रकबा 14.8800 हैक्टर की भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम सोनीया के स्थान पर सोनाराम गलत रूप से दर्ज हुआ है जो वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में यथावत दर्ज है। प्रस्तुत जबाब अप्रार्थी तहसीलदार सोजत एवं अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजात, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सोजत सिटी द्वारा प्रदत्त मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 13.02.2010, विधान सभा निर्वाचन नामावली

उप खण्ड अधिकारी सोजत

1970, भाग संख्या 139 क्र.सं. 669 एवं शपथ पत्रादि तथा अप्रार्थी तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत जबाब में भी इसी आश्य की दुरूस्ती की जाने की स्वीकारोक्ति/ सहमति अंकीत की जाने से वर्णित तथ्यों की संपुष्टि होती है। लिहाजा अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136 एल आर एक्ट 1956 स्वीकार किया जाना तथा उक्त भूमि के राजस्व रेकॉर्ड में गलत रूप से प्रार्थी के पिता का दर्ज नाम सोनाराम पुत्र रामाराम के स्थान पर सेसाराम पुत्र रामाराम दुरूस्त दर्ज करवाया जाना उचित समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय में स्थित खसरा नम्बर 911, 912, 935 से 937, 942 से 948, 952 से 956 कुल किता 17 कुल रकबा 14.8800 हैक्टर किस्म जाव सोयम, बंजड, मेहन्दी, गे0मु0 बेरा व सडा, की भूमि में प्रार्थी के पिता का गलत दर्ज नाम सोनाराम पुत्र रामाराम के स्थान पर सेसाराम पुत्र रामाराम दुरूस्त रूप से दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाता है। तहसीलदार सोजत को निर्णय की प्रति के साथ तहरीर भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हों।

(दौलतराम चौधरी)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 05/3/20 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.